न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 29/2019
जी.सी.एम.एस नम्बर– 2019/00109

अपीलान्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. वोराराम पुत्र देवाराम जाति सिरवी निवासी सवराड तहसील मा0ज0 जिला पाली 2. सुजाराम पुत्र घीसाराम जाति सिरवी निवासी सवराड तहसील मा0ज0 जिला पाली		1. तहसीलदार मारवाड जंक्शन 2. नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. मुकेश आर्य विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7.5.2024

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन के प्रकरण संख्या 635/2019 बअनवान सरकार बनाम वोराराम में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का सवराड की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2019 के आधार पर खसरा नम्बर 132 में अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण होना बताते हुये धारा 91 एल.आर एक्ट के तहत दिनांक 15.03.2019 को न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 की तारिख पेशी का नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 25.03.2019 को न्यायालय में उपस्थित होने के बावजुद भी अपीलाण्ट को गैर हाजिर मानकर पत्रावली नोटिस में रखकर तारीख पेशी दिनांक 10.04.2019 दे दी गई, जिसकी सुचना अपीलाण्टगण को नही दी गई। दिनांक 25.03.2019 की ऑडरशीट में अंकित नोटिस को काटछॉट कर मनमाने ढग से तारीख पेशी देकर फ़र्जीवाडा कर विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है।

दिनांक 14.06.2019 को दिनांक 10.04.2019 का फैसला लिखे बिना ही मौके पर जाकर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, बिना कोई सीमांकन कर लगभग 50 वर्षो से सार्वजनिक हितार्थ पशुओं के पानी पीने के उपयोग उपभोग आ रहे अवाले को तोड फोड दिया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 17.06.2019 को तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष मौखिक शिकायत करने पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से पत्रावली मंगवाई गई जिसमें दिनांक 25.03.2019 के बाद कोई

अति. जिला कलक्टर, पाली

आदेशिका नहीं लिखी गयी थी और ना ही जैर आराजी पर अवाला तोडने की आदेशिका दिनांक 10.04.2019 लिखी गयी थी, जिससे उक्त कृत्य विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है। अवाला गैर मुमकिन रास्ते की भुमि पर न बना होकर अपीलाण्ट की खातेदारी भुमि पर बना हुआ है। इसलिये गैर मुमकिन रास्ते एवं अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 131 का सीमांकन किया जाना निहायत जरूरी एवं न्यायसंगत था। जैर अपील आदेश में न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही की गई। न तो अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया, न ही जैर अपील आदेश की पत्रावली में नियमानुसार एवं विधि संगत कार्यवाही अमल में लायी गई। जैर अपील प्रकरण नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन के क्षैत्राधिकार में है जिसमें किसी प्रकार की स्थानान्तरण की कार्यवाही अमल में लाये बगैर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आदेश गावं के असामाजिक तत्वों द्वारा झुठी शिकायत करने सरपंच ने विद्वेषता पुर्ण तहसीलदार से मिलावट कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा गैरमुमकिन रास्ता की भुमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न कर अपनी खातेदारी भुमिपर सार्वजनिक पशुओ के पानी पिने के लिए अवाला बना रखा है जिसे खुर्द–बुर्द कर नियमों के विरूद्ध जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जैर अपील आदेश पारित किया है। यह विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सरवाड तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0040 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण कर अवैध अवाला पशु खेली का निर्माण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये बेदखली के आदेश पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सवराड ने दिनांक 11.03.2019 को जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0040 वर्ग मीटर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलाण्टगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अवाला पशु खेली बनाने के कारण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन में दिनांक 15.03.2019 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अपीलाण्टगण को नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्टगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की नियमानुसार पालना तथा धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय दिनांक 10.04.2019 के द्वारा अपीलाण्टगण को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली का निर्णय पारित किया।

अतः स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर अवाला पशु खेली का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित किया, जो न्यायसंगत एवं विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अपीलाण्टगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 635/2019 बअनवान सरकार बनाम वोराराम में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)